क्रम संख्या–12 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 जनवरी, 2015 ई0
पौष 29, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 21 / XXXVI(3) / 2015 / 08(1) / 2014
देहरादून, 19 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 07 जनवरी, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

(अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2015)

अधिनियम

''उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958'' (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड़ कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014'' है।

(2) यह दिनांक 04 सितम्बर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 28 का (द) में संशोधन 2. ''उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958'' (अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1958) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 28(द) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी, अर्थातः–

धारा 28(द) – विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य वेतनभोगी कार्मिकों की संख्या, अर्हताएं, परिलब्धियां एवं अन्य सेवा शर्तें (सेवानिवृत्ति आयु को छोड़कर) तथा उनकी सेवाओं व गतिविधियों के अभिलेखों को तैयार करना एवं रखरखाव;

मूल अधिनियम की धारा 28(म) के उपरान्त 28(य) जोड़ा जाना 3. मूल अधिनियम में धारा 28(म) के उपरान्त निम्नवत धारा 28(य)जोड़ दी जाएगी;अर्थात्:–

धारा 28(य) – विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य वेतनभोगी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

मूल अधिनियम की धारा 6–क की अनुसूची के अन्तर्गत अभिवृद्धि

4. मूल अधिनियम की धारा 6–क के अन्तर्गत अनुसूची में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार(पौड़ी गढवाल) हेतु आवंटित विषयों में निम्नवत अभिवृद्धि कर दी जाएगी:–

(3) पर्वतीय कृषि
(4) पशुचिकित्सा विज्ञान
(5) मत्स्य पालन
(6) खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मूल अधिनियम में संशोधन

5. मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त यथाविद्यमान) में जहाँ–जहाँ शब्द उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आये हैं वहाँ–वहाँ शब्द "वीर चन्द्र सिंह 'गढ़वाली' उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 21/XXXVI(3)/2015/08(1)/2014
Dated Dehradun, January 19, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidhalaya (Amendment) Bill, 2014"** (Adhiniyam Sankhya 04 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2015.

THE UTTARAKHAND KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (AMMENDMENT) ACT, 2014

(Act No. 04 of 2015)

Be it enancted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Sixty Fifth Year of the Republic of India as follows,

An

Act

further to amend "The Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (as applicable in Uttarakhand) as follows: -

Short Title and Commencement 1- (1) This Act may be called the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 4th day of September, 2012.

Amendment of Section 28 (r) of the principal Act 2- The clause (r) of the Section 28 of The Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (U.P. Act No. 45 of 1958) (as applicable to the State of Uttarakhand) (herein after referred to as the Principal Act), shall be amended as follows:

28(r) & The number, qualifications, emoluments and other conditions of service (excluding the age of retirement) of teachers and other salaried employees of the University, and the preparation and maintenance of a record of their services and activities;

Insertion of Section 28 (z) after 28 (y) of the principal Act 3- The Section 28(z) shall be inserted in the principal Act after section 28(y) as follows:-

28(z) & The age of superannuation/ retirement of the teachers other salaried employees shall be such as the state government may determine from time to time.

Addition in the Section 6-A of the principal Act

4- In the principal Act, the subjects allotted for the Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar (Pauri Garhwal) in the schedule under Section 6- A may be added as follows:-

(3) Hill Agriculture
(4) Veterinary Sciences
(5) Fisheries Sciences
(6) Food Science & Technology

Amendment in the Principal Act

5- Wherever the word Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya in The Principal Act (as applicable and existing) is written it should be read as "Veer Chandra Singh 'Garhwali' Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya".

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 विधायी/77–2015–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।